

16 ⁰⁹/₂₅


पत्रावली पेशा हुई वकील अधीं उपास्थि। तहसीलदार, भुसावर रिपोर्ट प्राप्त। हमने प्राथमिक पत्र प्राथी वकील को सुना गया। उन्होंने अवगत कराया कि वकील ग्राम दीवली की आशाजीभार में प्राथी के पिता का शिवदयाल के स्थान पर शिवलाल कर दिया गया। अतः उक्त को शुद्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने बहस पर प्राथी वकील को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट का मली मॉर्न अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्राथमिक पत्र प्राथी स्वीकार किया जाना इच्छित करते हैं।

अतः प्राथमिक पत्र प्राथी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 737, 738, 739, 740, 736 वकील ग्राम दीवली में प्राथी के पिता का नाम शिवलाल के स्थान पर शिवदयाल दुरन्त राजसूख रिकॉर्ड किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.09.25 को लिखाया जाकर सैर इजलास सुनाया गया।

पत्रावली कैसल शुमार होकर नंबर से कम है, बाद नकली जाया हासिल फातर हो।


उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राजग

[Faint handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '16.09.25']